

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

(Phone No 0141-2227229, Email ID :- pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक :- प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015

जयपुर, दिनांक :- 7.10.16

बैठक सूचना

निर्देशानुसार माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं जिला प्रभारी द्वारा जिला बाडमेर तथा जोधपुर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा एवं पंचायत शिविरों के आयोजन की तैयारी के संबंध में निम्नानुसार बैठक आयोजित की जाएगी।


बैठक कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

जिले का नाम	बैठक दिनांक	बैठक स्थान	प्रतिभागी	एजेण्डा
बाडमेर	13.10.2016 (प्रातः 10:30 बजे)	जिला कलक्टर सभागार, बाडमेर	माननीय सांसद, जिले के समस्त माननीय विधायकगण,	1 जिले में सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। 2 दि० 14.10.2016 से प्रारम्भ हो रहे पंचायत शिविरों के आयोजन के सम्बंध में तैयारी की समीक्षा।
जोधपुर	14.10.2016 (प्रातः 10:30 बजे)	जिला कलक्टर सभागार जोधपुर	जिला प्रमुख, जिले के समस्त प्रधान, जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला स्तरीय समस्त विभागों के अधिकारी एवं जिले के समस्त विकास अधिकारी	3 मुख्यमंत्री घोषणाओं का क्रियान्वयन 4 बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन। 5 सुराज संकल्प बिन्दुओं का क्रियान्वयन। 6 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का क्रियान्वयन। 7 मंत्री समूह के भ्रमण के निर्देशों की पालना। 8 आपका जिला आपकी सरकार में प्रदत्त निर्देश। 9 जिला कलक्टर सम्मेलन 4-6 मई, 16 निर्देशों का क्रियान्वयन। 10 प्रभारी सचिव बैठक दिनांक 4-5 जुलाई, 16 के निर्देशों का क्रियान्वयन।

मुख्यालय से निम्न अधिकारियों से विनम्र अनुरोध है कि बैठक में भाग लेने का श्रम करें :-


- 1 प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
- 3 प्रभारी सचिव, बाडमेर एवं जोधपुर
- 4 शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 5 आयुक्त, महानरेगा।
- 6 निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज।
- 7 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 8 अतिरिक्त उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन प्रथम), पंचायती राज।
- 9 संबंधित जिला प्रभारी।

उक्त बैठक का आयोजन, समन्वय एवं बैठक कार्यवाही विवरण जारी करने का दायित्व श्रीमान जिला कलक्टर का होगा।


परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)
7.10.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 5 निजी सचिव, प्रभारी सचिव, जोधपुर।
- 6 निजी सचिव, प्रभारी सचिव, बाड़मेर।
- 7 शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
- 8 निजी सचिव, प्रभारी सचिव, बाड़मेर एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 9 निजी सचिव, आयुक्त महानरेगा।
- 10 निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज।
- 11 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 12 जिला कलक्टर, जोधपुर/बाड़मेर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि जिले के माननीय सांसद महोदय/विधायकगण/जिला प्रमुख/प्रधानगण एवं जिले के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं समस्त विकास अधिकारियों का बैठक में भाग लिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 13 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर/बाड़मेर।
- 14 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
- 15 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
- 16 जिला प्रभारी, मुख्यालय, जयपुर।
- 17 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट (rdprd.gov.in) पर अपलोड करने हेतु।



परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)